न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या
221/19

तारीख दायरा
18.12.2019

तारीख फैसला
18/02/2021

पीठासीन अधिकारी – राजेश डागा (R.A.S.)

उनवान

जगदीश आत्मज देवलाल जाति मीणा निवासी देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा

–वादी

बनाम

1. देवलाल आत्मज रामनाथ जाति मीणा
2. जमना शंकर आत्मज देवलाल जाति मीणा
3. सुरेश कुमार आत्मज देवलाल जाति मीणा निवासीगण देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
4. सन्जू बाई पुत्री देवलाल पत्नी चन्द्र प्रकाश जाति मीणा निवासी अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5. मन्जू बाई पुत्री देवलाल पत्नी बृजमोहन जाति मीणा निवासी भगवानपुरा तहसील दीगोद
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89–53–188 आरटीएक्ट

उपस्थित – श्री ओमप्रकाश सोनी एडवोकेट वादी की ओर से

– श्री अनिल खण्डेलवाल एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 की ओर से

निर्णय

वादी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89–53–188 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा में ख0नं0 563/1 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 590/1 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 598 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 1467/127 रकबा 0.15 हे0 कुल किता 4 रकबा 0.48 हे0 भूमि एवं ख0नं0 145 रकबा 0.90 हे0, ख0नं0 148 रकबा 0.17 हे0, ख0नं0 560 रकबा 4.33 हे0, ख0नं0 910 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 911 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 913 रकबा 0.15 हे0 कुल किता 6 रकबा 5.72 हे0 भूमि वादी के पिता प्रतिवादी नं0 1 के खातें में स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है तथा प्रतिवादी नं0 1 अपनें जीवनकाल में अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होते हुए उपरोक्त भूमि को वादी व प्रतिवादी नं0 2 व 3 को 1/3, 1/3 हिस्से से दे दी व प्रतिवादी नं0 1 नें अपनें पास अन्य खातें की भूमि रख ली। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी नं0 2 व 3 काबिज काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादी नं0 4 व 5 ने अपना हिस्सा अपनें भाईयों के हक में मौखिक रूप से छोड रखा है यानी हकत्याग कर रखा है तथा वे अपनें पिता की भूमि में अपना कोई हक व हिस्सा नहीं चाहती है। प्रतिवादी नं0 1 के नाम अन्य खातें में पैतृक भूमि

स्थित चली आ रही है। इस कारण प्रतिवादी नं0 1 नें वाद वर्णित भूमि को वादी व प्रतिवादी नं0 2 व 3 को काश्त करने हेतु दे दी तथा पुश्तेनी भूमि में वादी व प्रतिवादी नं0 2 व 3 ने अपना हिस्सा छोड दिया। इस कारण उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी नं0 2–3 को 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाना व विभाजन किया जाना आवश्यक हो गया है। वाद कारण प्रतिवादी नं0 1 द्वारा भूमि को बैचान व अन्तरण करनें तथा उपरोक्त भूमि का वादी व प्रतिवादी नं0 2 व 3 को खातेदार घोषित नहीं करानें पर तथा उक्त पुश्तेनी भूमि को रहन, बैचान, खुर्द बुर्द व अन्तरण करने व वादी को भूमि से बैदखल करनें की दिनांक 11.12.2019 को धमकी देनें पर पैदा हुआ।

वाद पेश कर वादी ने निवेदन किया है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावें कि– ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 563/1 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 590/1 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 598 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 1467/127 रकबा 0.15 हे0 कुल किता 4 रकबा 0.48 हे0 भूमि एवं ख0नं0 145 रकबा 0.90 हे0, ख0नं0 148 रकबा 0.17 हे0, ख0नं0 560 रकबा 4.33 हे0, ख0नं0 910 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 911 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 913 रकबा 0.15 हे0 कुल किता 6 रकबा 5.72 हे0 भूमि पर से प्रतिवादी नं0 1 का नाम डिलीट किया जाकर वादी व प्रतिवादी नं0 2 व 3 को 1/3–1/3 हिस्से से खातेदार टेनेन्ट घोषित फरमाया जावें। उपरोक्त भूमि का वादी व प्रतिवादी नं0 2 व 3 के मध्य विभाजन किया जाकर प्रत्येक के 1/3 हिस्से की भूमि अलग–अलग खातें दर्ज किये जानें का निर्णय व डिक्री पारित की जावें। स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादी नं0 1 के विरूद्ध इस आशय की प्रसारित की जावें कि उपरोक्त भूमि को रहन, बैचान व खुर्द बुर्द नहीं करें तथा वादी व प्रतिवादी नं0 2 व 3 को 1/3–1/3 हिस्से पर काश्त करनें से नहीं रोके। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और ना ही अपनें एजेन्ट से करावें। प्रतिवादी नं0 6 को आदेशित किया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। वाद व्यय व अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावें।

वादी की ओर से साक्ष्य में निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये गये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम देवपुरा सं0 2072–75 खाता नं0 106
2. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम देवपुरा सं0 2072–75 खाता नं0 107

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5 की ओर से वकील श्री अनिल खण्डेलवाल का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। दौरानें वाद उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया। उभयपक्ष नें उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद में प्रतिवादी नं0 1 का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी पर वादी व प्रतिवादी नं0 2 व 3 को उक्त आराजी का 1/3–1/3 हिस्से में खातेदार घोषित करनें की कृपा करें एवं राजीनामा के आधार पर उक्त वाद को डिक्री किये जानें की कृपा करें।" उभयपक्ष को राजीनामा पढकर सुनाया गया, जिस पर उभयपक्ष द्वारा सहमति प्रकट की गई तथा सहमति स्वरूप आदेशिका पर उभयपक्ष द्वारा हस्ताक्षर किये गये। वादी की पहचान वकील श्री ओमप्रकाश सोनी एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 5 की पहचान वकील श्री अनिल खण्डेलवाल द्वारा प्रमाणित की गई। उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के सम्बन्ध में विधिक विचारण किया गया। विवादित भूमि

वाके ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद स्थित ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 563/1 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 590/1 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 598 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 1467/127 रकबा 0.15 हे0 कुल किता 4 रकबा 0.48 हे0 भूमि एवं ख0नं0 145 रकबा 0.90 हे0, ख0नं0 148 रकबा 0.17 हे0, ख0नं0 560 रकबा 4.33 हे0, ख0नं0 910 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 911 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 913 रकबा 0.15 हे0 कुल किता 6 रकबा 5.72 हे0 भूमि का वर्तमान में प्रतिवादी नं0 1 देवलाल पुत्र रामनाथ जाति मीणा अभिलिखित खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चला आ रहा है। वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 लगायत 5, प्रतिवादी नं0 1 के पुत्र व पुत्री है। वादी द्वारा अपनें पिता की पुश्तेनी आराजी में अपनें स्वत्वों की घोषणार्थ वादपत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा है।

चूंकि प्रकरण पिता एवं वारिसान के मध्य पुश्तेनी भूमि में घोषणा को लेकर जैरकार है। प्रस्तुत प्रकरण पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में विधिक विचारण करनें के उपरान्त संतान का अपनें पिता की पुश्तेनी आराजी में जन्म से ही स्वत्व निर्धारित हो जानें की अवधारणा है, तथा प्रतिवादी नं0 4 सन्जू बाई व प्रतिवादी नं0 5 मन्जू बाई द्वारा स्वयं उपस्थित होकर, विवादित भूमि में से अपनें स्वत्वों को त्यागनें की सहमति जाहिर की गई है, जिससे प्रतिवादी नं0 4 व 5 के स्वत्व वादी एवं प्रतिवादी नं0 2 व 3 ग्रहण करनें के अधिकारी है। उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत करनें के परिणामस्वरूप प्रकरण में समस्त विवाद्यको का अवसान हो जाना स्वाभाविक है। जिससे वादी अपनें पिता की पुश्तेनी आराजी में अपनें स्वत्वों की घोषणा करवानें के अधिकारी प्रतीत होते है। प्रतिवादी नं0 4 व 5 द्वारा अपनें स्वत्वों का त्याग करनें से राजकीय हानि होना प्रकट होता है, अतः हकग्रहिता से नियमानुसार हकत्याग का शूल्क वसूल किया जाना विधि अनुरूप है।

लिहाजा वाद वादी मुताबिक राजीनामा तक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम देवपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा स्थित ख0नं0 563/1 रकबा 0.02 हे0, ख0नं0 590/1 रकबा 0.08 हे0, ख0नं0 598 रकबा 0.23 हे0, ख0नं0 1467/127 रकबा 0.15 हे0 कुल किता 4 रकबा 0.48 हे0 भूमि एवं ख0नं0 145 रकबा 0.90 हे0, ख0नं0 148 रकबा 0.17 हे0, ख0नं0 560 रकबा 4.33 हे0, ख0नं0 910 रकबा 0.11 हे0, ख0नं0 911 रकबा 0.06 हे0, ख0नं0 913 रकबा 0.15 हे0 कुल किता 6 रकबा 5.72 हे0 भूमि का वादी जगदीश एवं प्रतिवादी नं0 2 जमना शंकर, प्रतिवादी नं0 3 सुरेश कुमार पुत्रान देवलाल को बहिस्सा बराबर 1/3–1/3 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार प्रतिवादी नं0 4 व 5 द्वारा अपनें स्वत्व त्यागनें के परिणामस्वरूप नियमानुसार मुद्रांक शूल्क (हकत्याग) वसूल कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना प्रेषित करें। शेष यथावत् रहेगा। तद्नुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 18/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

नोट - ख० नं० 148 रकबा 0.17 हे० के स्थान पर - ख० नं० 146 रकबा 0.17 हे० पढा जावे।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद

15/3/2021

जगदीश S/o देवलाल